281/

महत्वपूर्ण

संख्या– /XVI-1/16/5(55)/2015

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,
उद्यान भवन चौबटिया–रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–1 **देहरादूनः दिनांक, 02 मार्च ~~फरवरी~~ 2016**

विषय–अखरोट बीज(कागजी) की दर अनुमोदित एवं क्रय करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 741/एचडीएस–अखरोट बीज/2015–16 दिनांक 29 जनवरी 2016 एवं पत्र संख्या 776/एचडीएस–अखरोट बीज/2015–16 दिनांक 15 फरवरी 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उपर्युक्त विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपके द्वारा की गयी संस्तुति के कम में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु अखरोट बीज (कागजी) को रू 221.94 (रू0 दो सौ इक्कीस चौरानब्बे पैसा मात्र) प्रति किग्रा की दर से मै0 गुलाम मुहम्मद लोन प्रो0 लोन नर्सरी, मुतलहामा, जिला कुलगॉम, जम्मू कश्मीर से वास्तविक बजट एवं अनुमानित मात्रा 5600 किग्रा अथवा वास्तविक मांग, जो भी कम हो, की सीमान्तर्गत कय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते है:–

1– उक्त स्वीकृति केवल चालू वित्तीय वर्ष हेतु ही प्रदान की जा रही है।

2– व्यय हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–400/XXVII(1)/2015, दिनांक–01 अप्रैल 2015, प्रोक्योरमेन्ट रूल्स, 2008, भण्डार कय प्रकिया (स्टोर पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय–व्यय सम्बन्धी नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

3– बीज की आपूर्ति उत्तराखण्ड के प्रत्येक जिला मुख्यालयों तथा आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी कार्यालयों तक करनी होंगी। अतः दरें एफ0ओ0आर0 (डेस्टिनेशन) है।

4– आपूर्ति किये जाने वाले अखरोट बीज का स्टाक ताजा, अच्छी गुणवत्तायुक्त, सूखा, शुद्व व रोगरहित एवं अच्छी जीवितता प्रतिशत(कम से कम 50 प्रतिशत) होना चाहिये। इस सम्बन्ध में संस्था से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाय। अखरोट बीज 10 कि0ग्रा0 की पैंकिग में आपूर्ति किया जायेगा। जीवितता प्रतिशत में किसी प्रकार की गिरावट आने पर बीज की कीमत बिल से काट ली जायेगी। संस्था द्वारा अखरोट बीज आपूर्ति आदेश प्राप्ति के 10 दिन के

क्रमशः–2

भीतर करनी होगी । आपूर्ति न करने की दशा में अर्नेष्टमनी जमानत की धनराशि जब्त कर दी जायेगी एवं नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी। अखरोट बीज की आपूर्ति बिल के आधार पर की जाय, जिसका 90 प्रतिशत भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा अखरोट बीज (कागजी) प्राप्ति नियमानुसार पूर्ण करने के उपरान्त किया जायेगा तथा 10 प्रतिशत धनराशि का भुगतान संतोषजनक आपूर्ति एवं गुणवत्ता व जीवितता प्रतिशत के आधार पर किया जायेगा।

5– उक्त सामग्री की आपूर्ति के सम्बन्ध में कार्यवाही से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित सामग्री के भण्डार में होने का सत्यापन विभागीय गठित समिति/नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा फर्म के भण्डार स्थल पर किया जायेगा। सम्पूर्ण भण्डार का लाटवार सत्यापन करके पर्याप्त सैंपल ले कर इसका मानकों के अनुरूप परीक्षण/जांच कर ली जाय। उचित पाये जाने पर ही आपूर्ति सुनिश्चित की जाय।

6– विभागाध्यक्ष द्वारा उक्त सामग्री की आपूर्ति के पश्चात जिन लाभार्थियों/विभागीय संस्थाओं/अन्य को उक्त सामग्री उपलब्ध करायी जाय उनके पास बीजों की जीवितता के सम्बन्ध में अनुश्रवण हेतु समय–समय पर विभागीय अधिकारियों का दायित्व निर्धारित किया जाय। विभागाध्यक्ष द्वारा विभागीय अधिकारियों की अनुश्रवण आख्या से समय–समय पर अपनी संस्तुति सहित शासन को अवगत कराया जायेगा। सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित हो जाने के उपरांत ही सम्बन्धित संस्था की धरोहर धनराशि अवमुक्त की जायेगी। उक्त आदेश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7– उक्त सामग्री के कय का व्यय सम्बन्धित योजनाओं के सुंसगत मदों से वहन किया जाय।

भवदीय,

(डा0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–343 /XVI(1)/16/5(55)/2015,तद्दिनाकिंत।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून।
2. गार्ड फाईल।

(टीकम सिंह पंवार)
अपर सचिव।